ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

सुधाकरन केवी और अन्य

(2008 की सिविल अपील संख्या 3634)

16 मई, 2008

(एस.बी.सिन्हा और लोकेश्वर सिंह पंटा, जेजे.)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-

धारा 147 - स्कूटर पर पीछे बैठे एक व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में दावा - बीमाकर्ता का दायित्व- माना गया: दो पहिया वाहन में पीछे बैठे व्यक्ति को तब तीसरा पक्ष नहीं माना गया, जब स्कूटर की तेज गति और लापरवाही से सवारी के कारण दुर्घटना हुई थी, न कि किसी अन्य वाहन के चालक के कारण - बीमाकर्ता के दायित्व को बरकरार रखने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया गया।

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के स्कूटर से गिरने के कारण एक पीछे बैठे व्यक्ति की मृत्यु के लिए मुआवजे का दावा किया गया। ट्रिब्यूनल ने माना कि दुर्घटना प्रतिवादी नंबर 1 की तेज गति व लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई। इसमें दावा याचिका दायर करने की तारीख से प्राप्ति तक 12% ब्याज के साथ 1,18,900 रुपये की राशि प्रदान की गई, चूंकि बीमा पाॅलिसी के अस्तित्व को स्वीकार किया गया था, इसलिए बीमा कंपनी भी उत्तरदायी थी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने फैसले को बरकरार रखा, बीमा कंपनी ने तत्काल अपील दायर की।

न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह था: क्या मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 147 के तहत स्कूटर पर पीछे बैठने वाला तीसरा पक्ष होगा या नहीं?

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.1 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधान और विशेष रूप से, अधिनियम की धारा 147 सामाजिक न्यायों के सिद्धांतों को लागू करने के उद्देश्य से अधिनियमित की गई थी।

हालाँकि, इसे तीसरे पक्ष के जोखिम तक ही सीमित रखा गया। बीमा का एक अनुबंध जो वैधानिक प्रकृति का नहीं है, उसे किसी भी अन्य अनुबंध की तरह समझा जाना चाहिए। तत्काल मामले में, बीमा का अनुबंध 2.12.1992 के आसपास दर्ज किया गया था। यह एक्ट दायित्व के लिए एक पाॅलिसी थी जिसका अर्थ है, तीसरे पक्ष की देनदारी और मालिक या पीछे बैठने वाले के जोखिम को कवर नहीं करना। निस्संदेह, किसी तीसरे पक्ष और वाहन के मालिक या चालक के संबंध में बीमा अनुबंध के बीच अंतर किया जाना चाहिए। वाहन के चालक के जोखिम को कवर करके, बीमा के अनुबंध में एक अपवाद बनाया गया है। निस्संदेह, मृतक वाहन का चालक नहीं था। हालाँकि, बीमा अनुबंध की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उसे कवर नहीं किया जाएगा। (पैरा 7,10,14-16, 371-जी; 372-एफ-जी; 374-सी)

1.2 न्यायालय के निर्णयों में जो कानून निकलता है वह हैः (i) इस प्रकृति के मामले में बीमा कंपनी का दायित्व मोटर वाहन के पीछे बैठे व्यक्ति तक नहीं बढाया जाता है] जब तक कि उसके जोखिम को कवर करने के लिए प्रीमियम की अपेक्षित राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। (ii) अधिनियम की धारा 147 के तहत उत्पन्न होनी वाली कानूनी बाध्यता के अनुसार वाहन के मालिक या पीछे बैठे व्यक्ति की चोट या मृत्यु तक नहीं बढाया जा सकता है, (iii) दुपहिया वाहन में पीछे बैठने वाले को तीसरे पक्ष के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, जब दुर्घटना लापरवाही से स्कूटर चलाने के कारण हुई हो, न कि किसी अन्य वाहन की ओर से। (पैरा 19, 375-एचः 376-ए-8)

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शिमला बनाम तिलक सिंह और अन्य ((2006) 4 एससीसी 404), नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मी नारायण

धुत ((2007) 3 एससीसी 700, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मीना वारीयाल ((2007) 5 एसएससी 428), और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम वेदवती (2007) 9 एससीसी 486 अनटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सर्जेराव और अन्य 2007 (13) स्केल 80, गुलाम मोहम्मद डार बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य (2008) 1 एससीसी 422 द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और अन्य बनाम दर्शना देवी एवं अन्य 2008 (2) स्केल 432; और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शिमला बनाम तिलक सिंह और अन्य (2006) 4 एससीसी 404 संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 3634/2008

केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम के एम.एफ.ए. 1999 की संख्या 536 में दिनांक 22.03.2006 के अंतिम निर्णय और आदेश से उत्पन्न।

अपीलकर्ता की ओर से आंचल जैन, संतोष पॉल और एम.जे. पॉल।

प्रतिवादियों की ओर से पूर्णिमा भट और के. शारदा देवी।

न्यायालय का निर्णय एस.बी. सिन्हा. जेः द्वारा सुनाया गया।

1. यह अपील एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 22.03.2006 के एक फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जो एम.एफ.ए 1999 की संख्या 536 है, जिसके तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पेरुबंवूर द्वारा पारित निर्णय और पंचाट दिनांक 31.10.1998 से अपीलकर्ता द्वारा की गई अपीलकर्ता के खिलाफ और वाहन के मालिकों के खिलाफ अपील के तहत वह राशि का मुआवजा जो दावा याचिका दायर करने की तारीख से राशि की वसूली की तारीख तक 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 1,18,900 रुपये (कुल एक लाख अठारह हजार नौ सौ रुपये) दिया गया था, उस मुआवजे को खारिज कर किया जाये।

2. मामले का मूल तथ्य विवाद में नहीं है। थंकामणि (बाद में मृतक के रूप में संदर्भित) 20.10.1993 को स्कूटर पर पीछे की सीट पर सवार होकर यात्रा कर रही था। वह स्कूटर से गिर गयी और गंभीर चोटों के कारण उनकी मौत हो गई। उक्त दुर्घटना के संबंध में दावा याचिका दायर की गई थी।

अपीलकर्ता को अपने लिखित बयान में एक नोटिस दिया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क भी दिया गया कि वह पीछे की सीट पर सवार थी और इस प्रकार वह एक निःशुल्क यात्री थी। बीमा पॉलिसी ऐसे यात्री की चोट या मृत्यु के जोखिम को कवर नहीं करती है और इस प्रकार, यह स्कूटर के मालिक को उसके लिए प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं था।

इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि दुर्घटना एक निजी स्थान पर हुई थी।

हालाँकि, विवादित फैसले के आधार पर, ट्रिब्यूनल ने कहा:

(i) यह दुर्घटना सेबेस्टियन पी.वी.- दावा याचिका के प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा लापरवाही से स्कूटर चलाने के कारण हुई थी।

(ii) मृतक की मासिक आय को ध्यान में रखते हुए, जो अनुमानित 1200/- प्रति माह थी और साथ ही मृतक की आयु 50 वर्ष आंकी गई। दावेदार 1,05,600/- रुपये की राशि के मुआवजे के हकदार थे और दर्द की पीड़ा के मुआवजे के लिए 5,000/- रुपये की राशि की अनुमति दी गई थी। कपड़ों और वस्तुओं की क्षति के लिए 100/- रुपये की अनुमति दी गई थी, प्यार और स्नेह की हानि के लिए 5,000/- रुपये की राशि की अनुमति दी गई थी और मानसिक आघात और पीड़ा के लिए 1,000/- रुपये की राशि की अनुमति दी गई थी।

3. जहां तक अपीलकर्ता के दायित्व का संबंध है, यह माना गया कि आपत्तिजनक स्कूटर के संबंध में बीमा पाॅलिसी के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, वह भी उत्तरदायी था।

4. उक्त निर्णय से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 173 के तहत केरल उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। अपील इस सवाल पर थी कि क्या बीमा कंपनी इस प्रकृति के मामले में उत्तरदायी होगी, डिवीजन बेंच ने निम्नानुसार राय दीः

> "1 अपीलकर्ता मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पेरुम्बावूर की फाइल पर ओ.पी.(एमवी) 119/94 में तीसरा प्रतिवादी है। अपीलकर्ता को मोटर साइकिल के पीछे बैठे व्यक्ति की मौत के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया गया। अपीलार्थी द्वारा वाहन का बीमा कराया गया था।
>
> 2. यह तर्क दिया गया कि पीछे की सीट पर बैठने वाला व्यक्ति अधिनियम नीति के दायरे में नहीं आएगा। ट्रिब्यूनल इस विवाद को खारिज कर दिया। इसलिए यह अपील की गई।
>
> 3. यह प्रश्न कि क्या पीछे बैठने वाले को एक्ट पाॅलिसी द्वारा कवर किया गया है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम अजय कुमार (1999 (2) केएलटी 886 में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय से तय हो गया हैं ) इसलिए अपीलकर्ता इस अपील मेे उपरोक्त प्रस्ताव के विपरीत कोई विवाद सफलतापूर्वक नहीं उठा सकता..... ।"

5. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री आंचल जैन ने कहा कि चूंकि मृतक एक ऐसे वाहन मेेें था, जो बीमा के अनुबंध के तहत कवर नहीं था, इसलिए उसे एक अनावश्यक यात्री माना जाना चाहिए और इस प्रकार आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

इस संबंध में, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शिमला बनाम तिलक सिंह और अन्य पर मजबूत निर्भरता रखी गई है। ((2006) 4 एससीसी 404),

6. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्रीमती पूर्णिमा भट्ट और श्रीमती के. शारदा देवी आग्रह करती है:

(i) अनावश्यक यात्री के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निकाले गए कानून के सिद्धांत इस प्रकृति के मामलों में लागू नहीं होने चाहिए;

(ii) किसी भी स्थिति में इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए अपीलकर्ता को दावेदारों को दावा की गई राशि का भुगतान करने और स्कूटर के मालिक से इसकी वसूली करने का निर्देश देना चाहिए।

7. प्रतिद्वंदी विवादों पर विचार करने से पहले, हम बीमा पाॅलिसी पर ध्यान दे सकते हैं। बीमा का अनुबंध 2.12.1992 या उसके आसपास किया गया था। 1992 यह 'कार्य दायित्व के लिए एक नीति थी जिसका अर्थ तीसरे पक्ष का दायित्व था।

बीमा के उक्त अनुबंधों की संबंधित धाराएँ इस प्रकार है-

"1.मोटर वाहन अधिनियम में निर्धारित दायित्व की सीमा के अधीन, कंपनी भारत में कहीं भी मोटर वाहन के उपयोग के कारण होने वाली या उससे उत्पन्न होने वाली दुर्घटना की स्थिति में बीमाधारक को सभी राशियों की क्षतिपूर्ति करेगी। इसमें दावेदार की लागत और खर्च शामिल है, जिनका बीमाधारक किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट और/या तीसरे पक्ष की किसी संपत्ति को नुकसान के संबंध में भुगतान करने के लिए कानूनी रूप ये उत्तरदायी होगा।

**अपवाद**

जब तक मोटर वाहन अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक न हो, कंपनी बीमाधारक के रोजगार में या किसी ऐसे व्यक्ति के रोजगार के दौरान होने वाली मृत्यु के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति जिसे रोजगार के दौरान और उससे उत्पन्न शारीरिक चोट लगी है। ऐसा व्यक्ति इस नीति के तहत क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं करता है।"

8. अधिनियम की धारा 147 के संदर्भ में केवल किसी तीसरे पक्ष को दावे की प्रतिपूर्ति के संबंध में, वाहन के मालिकों द्वारा बीमा का अनुबंध लिया जाना चाहिए। यह प्रकृति में अनवार्य है, हालाँकि, जब किसी वाहन का मालिक खुद को अन्य जाखिमों से बचाने का इरादा रखता है; बीमा के अनुबंध में प्रवेश करने की अनुमति है, ऐसी स्थिति में बीमाकर्ता वाहन के मालिक को उसके अनुसार सख्ती से प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा।

9. तीसरे पक्ष द्वारा किए गए दावे के संबंध में मालिक की प्रतिपूर्ति करने का बीमाकर्ता का दायित्व वैधानिक है जबकि अन्य दावे वैधानिक नहीं है।

10. इसलिए, हमारे विचार के लिए एकमात्र प्रश्न यह उठता है कि क्या स्कूटर पर पीछे बैठने वाला व्यक्ति अधिनियम की धारा 147 के अर्थ के तहत तीसरा पक्ष होगा।

निर्विवाद रूप से, किसी तीसरे पक्ष और वाहन के मालिक या चालक के संबंध में बीमा अनुबंध के बीच अंतर किया जाना चाहिए।

11. इस न्यायालय ने निर्णयों की श्रृंखला में स्पष्ट रूप से माना है कि अधिनियम की धारा 147 के संदर्भ में बीमाकर्ता और वाहन के मालिक के बीच किए गए बीमा अनुबंध के तहत माल गाड़ी में एक निःशुल्क यात्री को कवर नहीं किया जाएगा। [न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम आशा रानी (2003) 2 एससीसी 223]

12. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शिमला बनाम तिलक सिंह और अन्य (2006) 4 एससीसी 404, में इस अदालत की एक खंडपीठ द्वारा उक्त सिद्धांतो को वाहनों की अन्य सभी श्रेणियों के लिए लागू किया, जैसे कि नीचे बताया गया है-

> "हमारे विचार में, हालांकि आशा रानी मामले में की गई टिप्पणियां मालवाहक वाहन में यात्रियों को ले जाने के संबंध में थीं, वही बात किसी अन्य वाहन में अनावश्यक यात्रियों पर भी समान बल के साथ लागू होगी। इस प्रकार, हमें अपीलकर्ता बीमा कंपनी के इस तर्क को बरकरार रखना चाहिए कि मृतक राजिंदर सिंह, जो पीछे की सीट पर सवार था, को लगी चोटों के प्रति बीमा कंपनी का कोई दायित्व नहीं है, क्योंकि बीमा नीति एक वैधानिक नीति है, और इसलिए यह किसी अकारण यात्री की मृत्यु या उसकी शारीरिक क्षति के जोखिम को कवर नहीं करती है।"

13. हालाँकि, विद्वान वकील श्रीमती भट्ट की दलील यह है कि इस न्यायालय को माल ढुलाई के अलावा अन्य वाहनों पर उक्त सिद्धांत का विस्तार नहीं करना चाहिए। जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, हम इस न्यायालय के कुछ हालिया निर्णय को देखते हुए उक्त प्रश्न पर विचार नहीं कर सकते हैं अर्थात नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मी नारायण धुत (2007) 3 एससीसी 700, ओरिएंटल कंपनी लिमिटेड बनाम मीना वरियाल (2007) 5 एससीसी 428, और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम वेद वती (2007)9 एससीसी 486,

14. अधिनियम के प्रावधान और, विशेष रूप से, अधिनियम की धारा 147 सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करने के उद्येश्य से अधिनियमित की गई थी। हालाँकि, इसे तीसरे पक्ष के जोखिम तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। बीमा का एक

अनुबंध जो वैधानिक प्रकृति का नहीं है, उसे किसी भी अन्य अनुबंध की तरह समझा जाना चाहिए।

15. हमने बीमा अनुबंध की शर्तों पर गौर किया है। यह तीसरे पक्ष के जोखिम को कवर करने के उद्येश्य से दर्ज किया गया था, न कि मालिक या पीछे बैठने वाले के जोखिम को कवर करने के उद्देश्य से। बीमा के अनुबंध में एक अपवाद बनाया गया है यानी वाहन के चालक के जोखिम को कवर करता है।

निस्संदेह, मृतक वाहन का चालक नहीं था।

16. बीमा के अनुबंध में वाहन के मालिक को कवर नहीं किया गया, निश्चित रूप से पीछे बैठने वाले को भी नहीं। मृतक एक यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था, स्ट्रिक्टो सेंसु एक अनावश्यक यात्री के रूप में नहीं हो सकता है क्योंकि दिए गए मामले में वह परिवार का सदस्य, दोस्त या अन्य रिश्तेदार नहीं हो सकता है। हालाँकि, आम बोलचाल में जिस अर्थ में यह शब्द प्रयोग किया जाता है, उस अर्थ में वह एक यात्री भी नहीं हो सकता है।

हालांकि, बीमा अनुबंध की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, उसे कवर नहीं किया जाएगा।

हमारे लिए इस संबंध में चल रही बड़ी संख्या में उदाहरणों से निपटना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह प्रश्न इस न्यायालय के कुछ हालिया निर्णयों द्वारा कवर किया हुआ प्रतीत होता है।

17. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सर्जेवाओं और अन्य (2007)13 स्केल 80), में, इसे इस प्रकार रखा गया था...

> "7.....जब मालिक पर एक वैधानिक दायित्व लगाया गया है, तो
>
> हमारी राय में, वह मालिक के क्षतिपूर्ति देने के लिए बीमाकर्ता के

दायित्व को नहीं बढ़ा सकता है, हालांकि बीमा पॉलिसी के संदर्भ में या अधिनियम के तहत, वह इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

17. किसी दिए गए मामले में बीमा कंपनी की वैधानिक देनदारी या तो शून्य हो सकती है या अधिनियम की धारा 140 के तहत निर्दिष्ट राशि से कम हो सकती है। इस प्रकार, जब अधिनियम की धारा 140 के संदर्भ में एक अलग आवेदन दायर किया जाता है, तो उसकी धारा 168 के संदर्भ में, बीमाकर्ता को एक नोटिस दिया जाना चाहिए कि किस स्थिति में, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह बीमा कंपनी के अनुरोध करने के लिए खुला होगा और साबित करें कि यह बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं है।

18. इसके अलावा, इसमें कोई विवाद नहीं है कि एक से अधिक पंचाट हो सकते हैं, खासकर तब जब भुगतान की गई राशि को अंतिम पंचाट से समायोजित करना पड़ सकता है। अधिनियम की धारा 168 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई भी संदेह नहीं हो सकता है कि अधिनियम की धारा 140 के तहत अधिकार लागू करने के लिए एक पंचाट भी धारा 168 के तहत पारित किया जाना आवश्यक है, जब संबंधित पक्षों ने अपनी दलीलें दायर की हों और सुनवाई का उचित अवसर दिया गया है। इस प्रकार, दावा न्यायाधिकरण को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि अधिनियम की धारा 140 में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों को प्रमाणित किया गया है, जो दावा करने और पंचाट देने का आधार है।

19. इसके अलावा, जाहिर है, अधिनियम के अध्याय-10 के संदर्भ में भी भुगतान की जाने वाली निर्देशित राशि आवश्यकतानुसार, निर्देशों का अनुपालन न करने की स्थिति में अधिनियम की धारा 174 के संदर्भ में वसूल की जानी

चाहिए। अधिनियम में ऐसा कोई अन्य प्रावधान नहीं  है जो ऐसी स्थिति का ध्यान रखता हों। इसलिए, हमारी राय है कि जब बीमा कंपनी द्वारा अपनी देनदारी के संबंध में आपत्तियां उठाई जाती है, तब भी ट्रिब्यूनल को इस मुद्दे पर निर्णय देने की आवश्यकता होती है, जो अंतिम रूप देगा और इस प्रकार, कोई भी निर्णय अधिनियम की धारा 173 के अर्थ के अंतर्गत ही होगा।''

इसके अतिरिक्त इसे निम्नानुसार भी रखा गया था-

"8. जहां तक ट्रोलियों में यात्रा करने वाले मजदूरों के संबंध में दायित्च का प्रश्न है, इस मामले पर इस न्यायालय द्वारा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बृजमोहन और अन्य ((2007) 7 स्केल 753, में विचार किया गया था और यह माना गया था कि बीमा कंपनी के पास कोई देनदारी नहीं है"

18. एक बार फिर गुलाम मोहम्मद डार बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य ((2008) 1 एससीसी 422,, इस न्यायालय ने कहा कि 1994 के संशोधन में तर्क द्वारा जोड़े गए "किसी भी व्यक्ति को चोट" शब्द का मतलब केवल तीसरा पक्ष होगा, न कि मालवाहक गाड़ी पर यात्रा करने वाला कोई यात्री चाहे वह निःशुल्क हो या अन्यथा। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बनाम दर्शना देवी और अन्य (2008 (2) स्केल 432

19. उक्त निर्णयों से जो कानून निकलता है, वह हैः (i) इस प्रकृति के मामले में बीमा कंपनी का दायित्व मोटर वाहर के पीछे बैठे व्यक्ति तक नहीं बढ़ाया जाता है, जब तक कि उसके जोखिम को कवर करने के लिए प्रीमियम की अपेक्षित राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। (ii) अधिनियम की धारा 147 के तहत उत्पन्न होने वाली कानूनी बाध्यता को वाहन के मालिक या पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति की चोट या मृत्यु तक नहीं बढ़ाया जा सकता है, (iii) दोपहिया वाहन में पीछे बैठने वाले को तीसरे पक्ष के

रूप में नहीं माना जाना चाहिए, जब दुर्घटना लापरवाही से स्कूटर चलाने के कारण हुई हो, न कि किसी अन्य वाहन के चालक की ओर से।

20. हमने जो विचार लिए है, उनके लिए बार में उद्धत बड़ी संख्या में निर्णयों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है क्योंकि वे इस प्रकृति के मामले में लागू नहीं होते हैं।

21. उपरोक्त कारणों से, आपेक्षित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता। इसे तदनुसार अपास्त किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है। कोई लागत नहीं।

आर.पी.

अपील की अनुमति।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक, न्यायिक अधिकारी नम्रता पारीक (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।